

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक सितम्बर, 2014

पत्र संख्या-1/एल01-10-09/2008 गृ0आ0 /श्री एम0 सुनील कुमार नायक, भा0पु0से0 (2005), समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-5, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 13.09.2014 से 28.09.2014 तक कुल 16 (सोलह) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री नायक के अवकाश अवधि में श्री पी0 कन्नन, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (क्यू0), बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-5, पटना के प्रभार में रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राजीव रंजन सिन्हा)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-09/2008 गृ0आ0 /पटना, दिनांक सितम्बर, 2014
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-09/2008 गृ0आ0 /पटना, दिनांक सितम्बर, 2014
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-09/2008 गृ0आ0 7971 /पटना, दिनांक 30- सितम्बर, 2014
प्रतिलिपि:-अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ श्री एम0 सुनील कुमार नायक, भा0पु0से0 (2005), समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-5, पटना / श्री पी0 कन्नन, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (क्यू0), बिहार, पटना /आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के विशेष सचिव।